

# कंपनियों और बैंकों को होगा 'मेट्रो 3' स्टेशनों के नामकरण का अधिकार

मुंबई(यशोडेस्क), मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एमएमआरसी) ने 'कुलाबा-बांद्रा-सिप्ज मेट्रो 3' रूट पर 22 स्टेशनों के नामकरण का अधिकार निजी कंपनियों और बैंकों को देने का फैसला किया है और इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

इस निविदा प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एमएमआरसी को स्टेशनों के नामकरण अधिकार से अच्छा राजस्व मिलने की संभावना है। मेट्रो परियोजना के तहत टिकटों के अलावा अन्य स्रोतों से भी राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत मेट्रो स्टेशनों, मेट्रो ट्रेनों में विज्ञापन की अनुमति दी गई है। खानपान और अन्य स्टालों के माध्यम से भी राजस्व उत्पन्न होता है। साथ ही, विभिन्न प्रसिद्ध कंपनियों को इससे राजस्व उत्पन्न करने के लिए मेट्रो स्टेशनों के नामकरण का अधिकार दिया जाता है। एमएमआरसी ने मेट्रो 3

के चालू होने के बाद अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। 2022 में पांच मेट्रो स्टेशनों के नामकरण का अधिकार विभिन्न कंपनियों को दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के पास बांद्रा-कुर्ला



कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्टेशन, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन, आयुर्बीमा महामंडल (एलआईसी) के पास चर्चगेट और हुतात्मा चौक मेट्रो स्टेशन का अधिकार दिया गया है। इन कंपनियों को प्रचार के लिए मेट्रो स्टेशन में जगह मिलेगी। साथ ही, मेट्रो ट्रेनों की उद्घोषणाओं और

स्टेशन मानचित्रों में भी इन कंपनियों के नाम का उल्लेख किया जाएगा। साथ ही उन कंपनियों का नाम संबंधित स्टेशन के नाम से पहले जोड़ा जाएगा। इससे एमएमआरसी को मेट्रो 3 के चालू होने से अगले पांच वर्षों में 216 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। अब एमएमआरसी ने शेष 22 स्टेशनों के नामकरण अधिकारों के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। कफ परेड, विधान भवन, कालबादेवी, गिरगांव, ग्रांट रोड, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, विज्ञान संग्रहालय, आचार्य अत्रे चौक, वर्ली, दादर, शीतलादेवी मंदिर, धारावी, विद्यानगरी, सांताक्रुज विमानतल (सहार रोड, अंतर्राष्ट्रीय विमानतल), मरोल नाका, एमआईडीसी, सिप्ज और आरे नामक 22 स्टेशनों के नामकरण अधिकारों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक कंपनियां 22 जून से 17 जुलाई के बीच निविदा जमा कर सकती हैं।